Concessions & Facilities available to Food Processing Industry

5.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाएं/रियायतें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास कृषि एवं अन्य फसलों के स्थानीय मूल्य संवर्धन के अवसरों में वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को त्वरित विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन सुविधाएं एवं रियायतें दिया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं से स्थानीय तौर पर क्रमिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। जिसका लाभ उत्पादकों तक पहुंच सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, अन्य सामान्य उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे– ब्याज अनुदान, निवेश पर अनुदान, मेगा प्रोजेक्ट्स को निःशुल्क भूमि, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा, प्रवेश कर, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण, पेटेंट हेतु सहायता, थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, प्रवेश कर में छूट, विस्तार/डायवर्सीफिकेशन, तकनीकी उन्नयन पर किये गये पूंजी निवेश पर अनुदान सुविधाओं/रियायतों के अतिरिक्त निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :–

सुविधाएं :–

5-3-1 गुणवत्ता प्रमाणीकरण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति : खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ., एगमार्क, बी.आई.एस. यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि रु. एक लाख सीमा तक की जाएगी।

5.3.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुसंधान एवं शोध कार्यों हेतु अनुदान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक व्यय के 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. एक लाख तक की अधिकतम प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.3.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की लघु उद्योगों की श्रेणी में विपणन सहायता हेतु अनुदानः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की लघु उद्योग श्रेणी में उत्पादन को लोक प्रिय बनाने केलिए, अपने ब्रान्ड की प्रसिद्धि के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित दिया जाएगा। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/सेमिनार में स्टॉल

लगाने हेतु अथवा इस स्तर पर किये गये विज्ञापन की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय करने के उपरांत की जाएगीः—

	(राशि रुपये हजार में)
प्रथम वर्ष	75
द्वितीय वर्ष	50
तृतीय वर्ष	25

5.3.4. फूड पार्कस् की अधोसंरचना के उपयोग हेतु, फूड पार्कस् में स्थापित इकाईयों के पश्चात स्थानीय कमजोर वर्गों के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.3.5 राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होंगी यथा, स्लाटर हाउस, एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा एवं परम्परागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जाएगा।

5.3.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चे माल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश में मण्डी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

5.3.7 परम्परागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे दाल मिल, राईस मिल, आईल एक्सपेलर, पोहा मिल आदि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं नहीं दी जाएगी। आवश्यक होने पर समय—समय पर यह सूची संशोधित की जाएगी।

5.3.6 फूड पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष पैकेज

5.3.6.1 प्रदेश के निमरानी, जिला खरगौन, जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर, बाबई—पिपरिया, जिला होशंगाबाद बोरगांव जिला छिंदवाड़ा, मनेरी जिला मण्डला, मालनपुर, जिला भिण्ड फूड पार्क्स एवं शासन द्वारा घोषित अन्य फूड पार्क में उद्यमियों को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि का आवंटनः फुडपार्क में स्थापित उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम दस उद्योगों को फुड पार्कस् की सामान्य प्रब्याजी की दर पर 50 प्रतिशत रियायत दी जावेगी। शर्त यह होगी कि, भू—आवंटन के नियमानुसार अवधि में उद्योग स्थापित करना होगा। समयावधि में उद्योग स्थापित कर, उत्पादन प्रारंभ कर देने पर भूमि आवंटन

हेतु जमा की गयी प्रब्याजी की 50 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी। पूर्व में शत–प्रतिशत प्रब्याजी की राशि भू–आवंटन हेतु जमा कराना होगी।

5.3.6.2 फूड पार्क में स्थापित फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का पूंजी निवेश यदि रुपये 10.00 करोड़ से कम है तो भी उन्हें उद्योग निवेश संवर्धन सहायता दी जाएगी।

5.3.6.3 फूड पार्क में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चामाल के रूप में क्रय किये जाने वाले कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।

5.3.6.4 फूड पार्क में स्थापित होने वाली सीजनल रूप से कार्य करने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को सीजनल उद्योग घोषित कर श्रम नियमों में छूट दी जायेगी एवं विद्युत बिल के न्यूनतम भुगतान से संबंधित नियमों में छूट दी जाएंगी।

5.3.6.5 फूड पार्क में स्थापित उद्योगों द्वारा कच्चे माल के क्रय पर लिये गये विक्रय कर को उत्पादित वस्तु के विक्रय कर में समायोजित कर इकाई द्वारा दिये जाने वाले टैक्स में छूट दी जाएंगी।

5.3.6.6 कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग जैसी गतिविधियों पर फूड पार्क के आस–पास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग वहां स्थापित उद्योगों की मांग के अनुसार योजना बनाकर काफन्ट्रेक्ट फार्मिंग कराने हेतु प्रयास करेंगे।

5.3.6.7 फूड पार्क में उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सहयोग प्रदान करेंगे।

5.3.6.8 फूड पार्क में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों (कंसलटेंट) की सेवाएं ली जाएंगी। जो पार्क को विज्ञापित कर उद्यमियों को उद्योग को स्थापित करने में सहयोग करेंगे।

————

Quality Certification cost reimbursement for Food Processing Industry

5.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाएं/रियायतें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास कृषि एवं अन्य फसलों के स्थानीय मूल्य संवर्धन के अवसरों में वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को त्वरित विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन सुविधाएं एवं रियायतें दिया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं से स्थानीय तौर पर क्रमिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। जिसका लाभ उत्पादकों तक पहुंच सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, अन्य सामान्य उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे– ब्याज अनुदान, निवेश पर अनुदान, मेगा प्रोजेक्ट्स को निःशुल्क भूमि, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा, प्रवेश कर, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण, पेटेंट हेतु सहायता, थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, प्रवेश कर में छूट, विस्तार/डायवर्सीफिकेशन, तकनीकी उन्नयन पर किये गये पूंजी निवेश पर अनुदान सुविधाओं/रियायतों के अतिरिक्त निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :–

सुविधाएं :–

5.3.1 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति** : खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ., एगमार्क, बी.आई.एस. यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि रु. एक लाख सीमा तक की जाएगी।

M.P.STATE ASSISTANCE FOR QUALITY CERTIFICATION OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES RULES 2004

1. **SHORT TITLE**

The rules will be called the Madhya Pradesh State Assistance for Quality certification of Food Processing Industries Rules 2004

2. **COMMENCEMENT AND DURATION**

It will come into force with effect from 1st April 2004 and shall remain opeative till further orders.

3. **DEFINITION**

(a) Food Processiong Industrial units: Means Indusial units processing Food sovering all segments viz fruits & vegetabes, milk products cereal, pulses, oil seeds and such other agri-horticultural sectors leading to value addition and shelf life enhancement including food flavors and colours, oleoresins, spices, coconut, mushroom, hops etc.

(b) Quality Certifcate: Means FPO, Agmark, BIS, Euro specifications marking certificates issued by Regional Testing Centres, Fields Testing Stations and others Test Houses set up by Government of India and testing laboratories of the State Government Department after due testing of finished products in their laboratories.

(c) Finished Products: Means goods actually produced by an industrial unit in accordance with the registration certification/granted by the District Trade & Industries Centres or production programme approved by any other competent Authority.

4. **AREA COVERED BY THE RULES**

The rules are operative throughtout the State of M.P.

5. **OBJECTS**

(i) To motivate the food processiong industries for adoption of food safety and quality assurance mechanisms such as Total quality Management(TQM) including ISO-9000, ISO-14000, Hazard Analysis and Critical Control Points(HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP)

(ii) To prepare them to face the global competition in International trade in post WTO

(iii) To enable adherence to astringent quality in hygiene norms

(iv) To enhance product acceptance by overseas buyers

(v) To keep Indian industry technologically abreast of international best practices

(vi) To promote the concept of quality assurance and their adoption.

6. **PRODUCT COVERAGE**

(i) Food product by Industrial Units, for which FPO, Agmark,BIS,Euro specifications are available.

(ii) Other Food products by Industrial Units, for which certificates issued by Regional Testing Centres, Field Testing Stations and others Test Houses set up by Govt. of India and testing laboratories of the State Government Department are available, after due testing of finished products in their laboratories are available.

7 **CONDITIONS**

(i) In case of products for which FPO, Agmark, BIS & Euro specifications are available, the reimbursement of expenses to the units will be made only when the units concerned obtain any of FPO, Agmark, BIS & Euro Mark. The list of such test houses and laboratories will be issued by the State Government.

(ii) In case of products which do not have FPO. Agmark & BIS specifications, the charges collected by the Regional Testing Centres, Field Testing Stations and others Test Houses set up by Government of India and Testing Laboratories of the State Government Department, to issue the certificate, to the effect that the products in question is of quality as per specifications laid down by the concerned authorities will be reimbursed.

8. **PROCEDURE:**

(i) The entrepreneurs seekng incentives under the rules shall apply to the General Manager of the concerned District Trade & Industries Centre in the form appended in duplicate.

(ii) The entrepreneur shall obtain a certificate for the laboratory expenses on quality certification as defined by clause 3(b) of these Rules from the concerned Laboratories and shall submit the same to the concerned District Trade & Industries Centre.

(iii) The General Manager of the concerned District Trade & Industries Centre shall issue sanction as per point 6 of the Annexure A for an amount equivalent to Rs,1,00,000.00or any amount as fixed by the Government of Madhya Pradesh/ Government of India from time to time.

(iv) The General Manager of the concerned District Trade &Industries Centre shall maintain the register in their office in the prescribed form.

(v) The units banned under food processng industry or in the negative list will not get this facility.

9. Notwithstanding the provisions of the scheme, the Industries Commissioner will have full powers to reject any claim for the State Subsidy for Quality Certification.

(कंडिका क्रमांक 5.3.1)

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20–71/04/बी/ग्यारह   भोपाल, दिनांक 24.05.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः–उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.3.1

––0––

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.3.1 निम्नानुसार है :–

5.3.1 ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति : खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ., एगमार्क, बी.आई.एस. यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि रु. एक लाख सीमा तक की जाएगी''।

2. उक्त निर्णयानुसार एम पी स्टेट असिस्टेंस फार क्वालिटी सर्टीफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज रूल्स 2004 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

3. कृपया योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करने का कष्ट करे।

4. वित्त विभाग ने यूओ क्रमांक 348/आर–730/ब–2, दिनांक 05.05.2005 द्वारा योजना पर सहमति प्रदान की है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्रमांक एफ 20–71/04/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 24.05.2005

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित करने हेतु।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल ।

हस्ता/

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

आवेदन–पत्र

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये आवश्यक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ. एगमार्क बी.आई.एस. यूरो मानक प्राप्त करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन।

1.	इकाई का नाम एवं पता	:–
2.	इकाई का गठन (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि.अथवा अन्य) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति	:–
3.	इकाई के स्वामी/भागीदारी/संचालक का नाम एवं पता	:–
4.	स्थाई पंजीयन/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक	:–
5.	संस्था का नाम एवं पता जिससे प्रमाणीकरण प्राप्त किया हो	:–
6.	एफ.पी.ओ. एगमार्क बी.आई.एस. यूरो मानक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति (यथा आवश्यक अतिरिक्त पेपर शीट का उपयोग करें)	:–
7.	यदि मानक संस्थाओं से कोई अनुबंध हुआ हो तो उसका आवेदन	:–
8.	भुगतान की राशि का विवरण	:–
9.	अन्य विवरण	:–

(स्वामी/भागीदार/संचालक)

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर/नाम/पता/सील

<u>शपथ–पत्र</u>
(नान–ज्युडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं...पिता / पति श्री ....उम्र.................................
निवासी...................................(स्वामी / भागीदारी / संचालक) मेसर्स...
शपथपूर्वक कथन करता हूॅ कि :–

1. मैं उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूॅ।
2. आवेदन पत्र के बिन्दु कमांक 1 से ....में प्रदत्त जानकारी मेरे संज्ञान से सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया अथवा कपटपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।आवेदन के संलग्न समस्त दस्तावेज एवं जानकारियां सत्य एवं प्रमाणित है।
3. उक्त योजना के समस्त शर्तों को पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा।
4. यह कि योजना अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है तथा इस मद में कभी भी किसी भी संस्था से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं की गई है।
5. यह कि भविष्य में यह सिद्ध होने पर कि प्रतिपूर्ति राशि गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई है तो उक्त राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर की राशि सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूंगा।

गवाह के नाम पता एवं हस्ताक्षर

1. ....
2. ....

हस्ताक्षर

(स्वामी / भागीदार / संचालक)

दिनांक ....

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर

(स्वामी / भागीदार / संचालक)
(नाम एवं पता)

ANNEXURE -B

RETURN FOR THE M.P.STATE SUBSIDY FOR QUALITY CERTIFICATION RULES 2004

(Subsidy for Quality certification by Laboratories established by the Government of India)

S.No.	No.of sanction order date & amount	Name of the Industrial unit & Address	Amount of claim	Amount sanction	Name of Laboratory & location	Name of the finished product tested
1	2	3	4	5	6	7

ANNEXURE - C

RETURN FOR THE M P STATE SUBSIDY FOR QUALITY CERTIFICATION RULES 2004

(SUBSIDY FOR QUALITY CERTIFICATION BY LABORATORIES ESTABLISHED BY OTHER THAN GOVERNMENT OF INDIA)

S,No	No. of sanction order date & amount	Name of the Industrial unit & Address	Amount of claim	Amount sanction	Name of Laboratory & location	Name of the finished product tested
1	2	3	4	5	6	7

Subsidy for Research and Development work in Food Processing Industry

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम– 2004

1. **संक्षिप्त नाम–** ये नियम मध्यप्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम– 2004 कहलायेंगे।

2. **उददेश्य–** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त तकनीकों के उन्नयन हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

3. **प्रयोज्यता एवं अवधि** – ये नियम दिनांक 1 अप्रेल, 2004 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रवृत रहेंगे एवं संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रयोज्य होंगे।

4. **परिभाषा** –

अ– खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयां – से अभिप्रेत है ऐसी समस्त औद्योगिक इकाईयां, जो खाद्य पदार्थों के सभी प्रक्षेत्र यथा फल एवं सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, मांस, कुक्कुट, मत्स्य, खाद्यान्न, दालें, तिलहन एवं ऐसी अन्य कृषि–उद्यानिकी क्षेत्र की खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मूल्य संवर्धन तथा शैल्फ (Shelf) लाईफ में अभिवृद्धि होती हो, जिसमें खाद्य पदार्थों की सुगंध एवं रंग, आलियोरेजिन्स, मसाले, नारियल, मशरूम, हॉप्स आदि भी सम्मिलित हैं।

ब– शोध एवं अनुसंधान – से अभिप्रेत ऐसे शोध एवं अनुसंधान कार्य से है, जो इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु निम्न सभी या किसी एक उददेश्य की प्राप्ति हेतु किया गया हो –

- सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, संवेष्टन(packing) एवं भण्डारण (storage) से संबंधित प्रोद्योगिकीयों का उन्नयन, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त हो सकें।

- मध्यवर्ती एवं अंतिम खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विकास, जिसमें प्रोटोटाईप उपकरण/पायलट संयंत्रों का प्रारूप एवं निर्माण सम्मिलित है।
- खाद्यान्न एवं खाद्यान्न आधारित उत्पादों का पोष्टिकीकरण (Fortification), जिससे जनसामान्य विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में अभिवृद्धि हो सके एवं इसकी अनुमोदित की जाने वाली मात्रा का प्रकरणवार निर्धारण, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा ।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों के परम्परागत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास।
- घरेलू एवं निर्यात दोनों प्रयोजनों हेतु परम्परागत एवं सामान्य खाद्यान्नों, दुग्ध उत्पादों आदि पर आधारित खाद्य पदार्थों के परिरक्षण (Preservation) एवं संवेष्ठन (Packaging) हेतु अर्थक्षम नवीन प्रोद्योगिकीयों का विकास एवं ऐसे उत्पादों के उत्पादन हेतु संयंत्रो का प्रारूपण एवं विकास तथा ऐसी नवीन कम लागत की तकनीको एवं संयंत्रो का विकास।
- ऐसे उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपकरणों की डिजाईन का विकास, नवीन सस्ती संवेष्ठन तकनीकों एवं उपकरणों का विकास, विद्यमान संवेष्ठन की पद्धतियों, पदार्थ प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचलित पद्धतियों का विश्लेषण कर उनके उन्नयन हेतु किये जाने वाले अनुसंधान।
- मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निर्देशानुसार शोध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्देशित शोध, जो संवेष्ठन/प्रसंस्करण हेतु कम लागत के स्वदेशी प्रोद्योगिकी का विकास, जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन हो सके।
- मांस एवं मांस के उत्पादों के विभिन्न कारकों का मानकीकरण जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल मानक, परिरक्षण मानक, एडीटिव्स, कीटनाशक अवशिष्ट आदि, एवं इस पर आधारित वाणिज्यिक महत्व के मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास।

स– निर्मित उत्पाद – से अभिप्रेत ऐसे उत्पादों से है, जो औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुतः उत्पादित किये जा रहे हों एवं संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दिये गये पंजीयन प्रमाण पत्र के अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप हों।

5– पात्रता –

इस अनुदान की पात्रता उन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को होगी, जो इन नियमों की कंडिका 4 (अ) में वर्णित है एवं जिन्होंने दिनांक 01.04.2004 को अथवा इसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो तथा इन नियमों की कंडिका 4 (ब) में निहित किसी एक या अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्य किया हो अथवा केन्द्र शासन या राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित किसी शोध एवं अनुसंधानकारी संस्था,जिन्हे शासन व्दारा अधिसूचित किया गया हो ।

जो इकाईयां शोध एवं अनुसंधान कार्य स्वयं करेंगी, उन्हें अपनी प्रयोगशाला एवं अनुसंधानकर्ता की इंगित शोध एवं अनुसंधान हेतु सक्षमता तथा किये गये शोध एवं अनुसंधान कार्य का अभिप्रमाणन मध्यप्रदेश कॉउंसिल ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी या केन्द्र शासन/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित शोध एवं अनुसंधान केन्द्र
जिन्हें उधोग विभाग व्दारा समय समय पर अधिसूचित ि

6– अनुदान की सीमा – इन नियमों की कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को, उनके द्वारा शोध एवं अनुसंधान में किये गये व्यय का 10 प्रतिशत, अधिकतम रूपये एक लाख तक, के अनुदान की पात्रता होगी।

7– प्रक्रिया –

(अ) पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वयं शोध एवं अनुसंधान कार्य करने की दशा में, कंडिका कमांक 5 में वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं शोध एवं अनुसंधान कार्य में हुए व्यय को चार्टर्ड एकाउंटन्ट द्वारा सत्यापित करावेंगे।

(ब) किसी अन्य संस्था द्वारा कराये गये शोध कार्य पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटन्ट से करावेंगे।

(स) इस अनुदान हेतु पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उपरोक्त प्रमाण–पत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

(द) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन आवेदन–पत्रों को पंजीबद्ध कर आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस में पात्रता का परीक्षण एवं सत्यापन कर अनुदान स्वीकृति आदेश प्रसारित करेंगे।

8– इन नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुए भी इन अनुदानों से संबंधित किसी भी दावे को मान्य अथवा अमान्य करने का अंतिम अधिकार उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को होगा।

(कंडिका क्रमांक 5.3.2)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकएफ–20–81/2005/बी/ग्यारह   भोपाल, दिनांक 13.06.2005
प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषयः– उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.3.2

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना का बिन्दु क्रमांक 5.3.2 निम्नानुसार है।:–

5.3.2 **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुसंधान एवं शोध कार्यो हेतु अनुदान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान एव शोध कार्य को बढावा देने कें लिये वास्तविक व्यय के 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 एक लाख की अधिकतम प्रतिपूर्ति की जावेगी ।**

2. उक्त निर्णय अनुसार तैयार मध्य प्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम 2004 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

3, कृपया नियमों का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

4. वित्त विभाग ने यू ओ क्रमांक 376/आर–732/ब–2 दिनांक 19.05. 2005 से नियमों पर सहमति प्रदान की है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्रमांकएफ–20–81/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक :13.06.2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग को महालेखाकार को पृष्ठाकित करने हेतु ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर मध्य प्रदेश।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र. स्टेट इण्डस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पो. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक,म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल ।
6. प्रबंध संचालक,मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लि0 म0प्र0भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उनके द्वारा शोध एवं अनुसंधान में किये गये व्यय पर अनुदान हेतु आवेदन–पत्र

1.	इकाई का नाम एवं पूर्ण पता – (टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बर/ई–मेल सहित)	
2.	इकाई का गठन (स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लि. अथवा अन्य) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति	
3.	इकाई के स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम एवं पूर्ण पता	
4.	स्थायी पंजीयन/अनुज्ञा–पत्र/आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक (उत्पादों के विवरण सहित प्रति संलग्न करें)	
5.	इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक	
6.	शोध एवं अनुसंधान का उद्देश्य एवं विषय	
7.	(अ) ईकाई द्वारा शोध एवं अनुसंधान कार्य स्वयं करने की दशा में शोध कार्य को प्रमाणित करने वाली संस्था का नाम एवं पूर्ण पता। शोध कार्य में` किये गये व्यय का विवरण (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	

	(ब) किसी अन्य संस्था से शोध एवं अनुसंधान कार्य कराये जाने की दशा में शोध एवं अनुसंधान कार्य को करने वाली संस्था का नाम एवं पूर्ण पता शोध कार्य में हुये व्यय का विवरण (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.	शोध एवं अनुसंधान की अवधि	
9.	शोध एवं अनुसंधान का परिणाम (लाभ)	
10.	चाही गई अनुदान राशि	
11.	संगठन द्वारा पूर्व में किये गये शोधों का विवरण निम्नानुसार के साथ संलग्न करें। 1. शोध का विषय 2. संगठन 3. वर्ष 4. किस राशि के लिये किया गया	
12.	म.प्र.शासन तथा/या अन्य किसी राज्य शासन/केन्द्र शासन से प्राप्त किये गये अनुदान का विवरण	
13.	अन्य विवरण (जो आवश्यक समझे)	

हस्ताक्षर
(स्वामी/भागीदार/संचालक का नाम)
दिनांक

....